

कार्यालय आदेश सं. 26/17

कार्यालय आदेश सं. 09/14 एवं पृष्ठांकन िं. का/सिग/254/एम.ए.सी.पी./भाग-11/14 दिनांक 18-07-14 के अनुसार कर्मचारी को प्रथम एम.ए.सी.पी.1 लाभी दिनांक 24-05-12 की प्रभावी तिथि से दिया गया है जिसम कर्मचारी का वेतन विकल्प पर निर्धारण किया गया है लेकिन कर्मचारी क सेवा-पुस्तिका पर त्रुटी के कारण कर्मचारी का वेतन विकल्प के आधार पर वेतन अंकित नहीं होने के कारण कर्मचारी का वेतन 01वेतन वृद्धि कम होने के कारण कर्मचारी का वेतन सातवे वेतन मे त्रुटीपूर्ण अंकित हो गया है जिसे संशोधित कर कर्मचारी के पद एवं वेतन का निर्धारण उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से दिया जाता है ।

कम सं.	कर्मचारी का नाम पद, वेतनमान	पूर्व निर्धारित वेतन	वर्तमान संशोधित वेतन
01	श्रीमति सुमित्रा देवी हेल्पर खलासी/टेली/गोरखपुर	7190+1800= 8990 01-07-11 7190+1900= 9090 24-05-12 (प्रथम एम.ए.सी.पी. 7470+1900=9370 01-07-12(विकल्प पर ) 7760+1900=9660 01-07-14 8350+1900= 10250 01-07-15 26800/- 01-01-16 27600/- 01-07-16	7190+1800= 8990 01-07-11 7190+1900= 9090 24-05-12 (प्रथम एम.ए.सी.पी. 7740+1900=9640 01-07-12(विकल्प पर) 8030+1900=9930 01-07-13 8330+1900=10230 01-07-14 8640+1900= 10540 01-07-15 27600/- 01-01-16 28400/- 01-07-16

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है ।

सं. का/परि/आर.टी.आई./सीएफ.सी./2010

प्रतिलिपि :- एवं सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित ।

1. वमंसिद्धई/मंसिद्धई/वारा. ।
2. वमंसिद्धई/वारा. ।
3. वमंसिद्धई/गोरखपुर / सीसेई/टेली/गोरखपुर.
4. कार्यालय आदेश पुस्तिका /हितअनुभाग गोरखपुर ।
4. मंडल मेनी नरमू/अजा./अजजा.अपिजा,एसो.वारा. ।

सहायक कार्मिक अधिकारी

वाराणसी।

दिनांक 17-2-17

सहायक कार्मिक अधिकारी

वाराणसी।

कार्यालय आदेश सं.